न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पुष्कर (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी – श्री सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या – 21/2021

दायर दिनांक – 26.07.2021

निर्णय दिनांक – 23.01.2023

जीसीएमएस नं0 – 2021/69

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
1. श्री मोहनसिंह पुत्र स्व0 श्री प्रेमसिंह जाति रावत निवासी ग्राम नाला पुष्कर तहसील पुष्कर जिला अजमेर।		1. श्री अभिषेक पाटनी पुत्र श्री महेंद्र कुमार पाटनी निवासी बी–419, पंचशील अजमेर। 2. श्री महेंद्र जैन पुत्र श्री सुरेशचन्द जैन निवासी 419, पंचशील, अजमेर। 3. श्री रामचरण यादव पुत्र श्री महेंद्र सिंह यादव जाति यादव निवासी प्लॉट सं0–2, मोतीनगर, ब्यावर रोड, अजमेर। 4. श्री मूला पुत्र लूम्बा जाति रावत निवासी ग्राम नाला, तहसील पुष्कर जिला अजमेर। 5. श्री राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार एवं उप–पंजीयक महोदय, तहसील एवं पंजीयन कार्यालय पुष्कर जिला अजमेर।

राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति–
1. श्री जगदीश चौधरी, अधिवक्ता, प्रार्थी।
2. श्री विजय दिवाकर, अधिवक्ता, अप्रार्थी सं0 1 से 3।
3. श्री पैरोकार [illegible] तहसीलदार, पुष्कर, अजमेर।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2023.02.07 11:27:36 IST
Reason: SelfAttested

23.01.23
उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)

–: निर्णय :–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत ग्राम पुष्कर तहसील पुष्कर में अवस्थित कृषि भूमि के खसरा नंबरान 2238 रकबा 8.50 हैक्ट0 भूमि में अप्रार्थीगण को प्रार्थी के कब्जे काश्त में बिना बंटवारे के बेचान, अवैध निर्माण आदि का नाजायज प्रयास करने से जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा ताफैसला वाद पाबंद किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र में उल्लेख किया है कि प्रार्थना–पत्र की चरण सं0 2 में वर्णित कृषि आराजी भूमि प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं0 01 लगायत 04 की संयुक्त खातेदारी की भूमि है। वर्णित कृषि आराजी में प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं0 01 लगायत 04 का पृथक्–पृथक् हक एवं हिस्सा निहित है, जो कि राजस्व जमाबंदी अभिलेख में अंकित है तथा प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं0 01 लगायत 04 उपरोक्त आराजी पर मौके पर पृथक्–पृथक् कर अपने हक व हिस्से अनुसार हकबंदी कर रखी है एवं तारबंदी मेडबंदी कर मौके पर भौतिक रूप से कब्जे काश्त है परंतु उक्त आराजी का बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस से प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के मध्य विधिवत् बंटवारा आज दिवस तक नहीं हुआ है।

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस मय नकल प्रार्थना–पत्र के तलब किया गया। जिसकी अनुपालना में अप्रार्थी सं0 1 लगायत 3 की ओर से वकील श्री विजय दिवाकर ने वकालतनामा पेश करते हुए विस्तृत जवाब प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पेश कर कथन किया कि अप्रार्थीगण सं0 01 लगायत 03 को विधिवत् बंटवारा किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है। विवादित आराजीयात में प्रार्थी का 1/50, अप्रार्थी सं0 04 का 3/100 एवं शेष सम्पूर्ण हिस्सा अप्रार्थी सं0 01 लगायत 03 का निहित है। विवादित आराजीयात का प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के मध्य किसी प्रकार का कोई बंटवारा नहीं हुआ है। वादग्रस्त आराजीयात आज दिनांक तक शामलात कब्जे–काश्त की आराजीयात है, जो राजस्व रिकॉर्ड से स्वयं सिद्ध है। अप्रार्थीगण उक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य नहीं किया है तथा केवल अपने विधिक अधिकारों का उपयोग कर रहे है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन तथा अपूरणीय क्षति का सिद्धांत अप्रार्थीगण सं0 01 लगायत 03 के पक्ष में होने के कारण प्रार्थी का प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र काबिल निरस्त योग्य है। अप्रार्थी सं0 04 को जवाब प्रार्थना–पत्र हेतु पर्याप्त एवं समुचित अवसर दिये जाने के बाद दिनांक 11.07.2022 को जवाब बन्द की कार्यवाही अमल में लाई गई।

23.01.23

उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2023.02.07 11:27:36 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थी सं0 05 पैरोकार सरकार द्वारा न्यायालय में पत्रांक/तह.पुष्कर/कोर्ट/2021/2800 दिनांक 29.12.2021 के तहत जवाब प्रार्थना–पत्र पेश किया, जिसे मूल पत्रावली में शामिल मिसल किया गया। पैरोकार सरकार के जवाब प्रार्थना–पत्र में कथन किया कि बिंदु सं0 02 में किये गये कथन के संबंध में राजस्व रिकॉर्ड अनुसार खसरा नंबर 2238 रकबा 8.50 हैक्ट0 किस्म गै0मु0पहाड में प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण सह खातेदार के रूप में दर्ज है। बिंदु सं0 03 में किये गये कथन के संबंध में निवेदन है कि केवल प्रार्थी अलग रूप से काबिज तारबंदी करके अलग काबिज है। शेष सह खातेदार अलग–अलग भौतिक रूप से तारबंदी नहीं की हुई है। शेष बिंदुवार कथन प्रार्थी स्वयं सिद्ध करें तथा न्यायालय से संबंधित होने का कथन किया है।

हमने उभयपक्षकारान की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पर मनन किया। प्रस्तुत दस्तावेज साक्ष्यों यथा – प्रार्थना–पत्र, जमाबंदी की नकल एवं अन्य संलग्न दस्तावेजों, अप्रार्थी सं0 01 लगायत 03 का जवाब प्रार्थना–पत्र, पैरोकार सरकार का जवाब प्रार्थना–पत्र, अंतिम बहस के अनुसार अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना–पत्र का निस्तारण निम्न प्रकार किया जाता है :–

<u>प्रथम दृष्टया मामला</u> – रिकॉर्ड पर प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य जमाबन्दी सम्वत् 2068 लगायत 2071 के अनुसार वादग्रस्त आराजीयात में प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण सह–खातेदार होना प्रमाणित होता है। कमिश्नर रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी अलग से काबिज होकर तारबंदी करके काबिज है तथा शेष सह–खातेदार अलग–अलग भौतिक रूप से काबिज परंतु तारबंदी नहीं की है। अप्रार्थी सं0 01 लगायत 03 ने अपने जवाब प्रार्थना–पत्र में बाई मिण्ट्स एंड बाउण्डस विधिवत् बंटवारे हेतु अनापत्ति दी है। अतः राजस्व अभिलेख, प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण भौतिक रूप से अलग–अलग काबिज काश्त होने, बंटवारे हेतु अप्रार्थीगण की अनापत्ति के कारण विवाद का कोई बिंदु ही नहीं रहा है। अतः इस आधार पर प्रकरण में प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध होना नहीं पाया जाता है।

<u>सुविधा का संतुलन</u> – चूंकि प्रथम दृष्टया प्रकरण में निर्णित तथ्यों के अनुसार सुविधा का संतुलन प्रार्थी के विरूद्ध होना स्वतः स्वाभाविक है। अपितु अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थी के लिए कम सुविधापूर्ण और अप्रार्थीगण के लिए अधिक अनिष्ट एवं असुविधापूर्ण है। इस प्रकार सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में नहीं पाया जाता है।

<u>अपूरणीय क्षति का सिद्धान्त</u> – ऐसी दशा में प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध नहीं होने से प्रार्थी के पक्ष में यह सिद्धांत लागू नहीं होता है। अतः अपूरणीय क्षति का सिद्धांत प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध नहीं होता है।

23.01.23

उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukhram Pindel
Date: 2023.02.07 16:27:46 IST
Reason: SelfAttested

अतः अस्थायी निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में नहीं पाये जाने के एवं प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण बंटवाडे हेतु सहमत होने के कारण कोई विवाद का बिन्दु शेष नहीं रहने के कारण प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 23.01.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया।

23.01.23

सुखाराम पिण्डेल
उपखण्ड अधिकारी
(आर0ए0एस)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2023.02.07 11:27:36 IST
Reason: SelfAttested